राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप –10) विभाग

क्रमांक प. 1(1)गृह–10/2007 जयपुर दिनांक 4/7/16

आदेश

श्री राजकिशोर बृजवासी, सहायक अभियोजन अधिकारी के विरूद्व लम्बित भ्र0नि0 अधिनियम के प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एफ.आई.आर. क्वेश करने की याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर विचाराधीन प्रकरण को समाप्त करने के आदेश प्रदान किये गये। इसके फलस्वरूप इनको बहाल किया जाकर निलम्बन काल को समस्त प्रयोजनार्थ सेवा काल माने जाने के आदेश प्रदान किये गये। श्री बृजवासी ने सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 15.02.1999 को उपस्थिति दी थी। दिनांक 16.01.2007 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में निलम्बन के कारण नियमानुसार वांछित अनुभव पूर्ण नही होने से अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु श्री बृजवासी के नाम पर विचार नहीं किया गया था। इनको बहाल कर आदेश दिनांक 12.03.2010 के द्वारा इनके निलम्बन काल को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माना गया है। अतः श्री बृजवासी वर्ष 2005–06 में अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखते है।

उपरोक्त कारण से अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने हेतु पूर्व में की गई वर्ष 2005–06, 2006–07,2007–08 एवं 2008–09 की विभागिय पदोन्नति समिति बैठक की कार्यवाही का पुनरावलोकन करने हेतु दिनांक 23.06.16 से विभागिय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई ।

विभागिय पदोन्नति समिति द्वारा पुनरावलोकन के पश्चात की गई अनुशंषा के अनुसार निम्न अधिकारीयों को अभियोजन अधिकारीयों के पद पर पूर्व में दी गई पदोन्नति के आदेशों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम अधिकारी	विवरण
1	श्री राजकिशोर बृजवासी अनुसूचित जाति	इनका वर्ष 2008–09 में अभियोजन अधिकारी के पद पर किया गया चयन एवं पदोन्नति निरस्त की जाती है एवं वर्ष 2005–06 में अभियोजन अधिकारी के पद पर चयन किया जाकर पदोन्नत किया जाता है। वर्ष 2005–06 की चयन सूची में इनका नाम सबके नीचे रहेगा।
2	श्री सुशील कुमार चौहान अनुसूचित जाति	इनका वर्ष 2006–07 में अभियोजन अधिकारी के पद पर किया चयन एवं पदोन्नति निरस्त की जाती है। वर्ष 2007–08 में अभियोजन अधिकारी के पद पर चयन किया जाकर पदोन्नत किया जाता है। वर्ष 2007–08 की चयन सूची मे इनका नाम श्री सत्यनारायण चितारा के नीचें रहेगा।
3	श्री जवाहर सिंह अनुसूचित जाति	इनका वर्ष 2007–08 में अभियोजन अधिकारी के पद पर किया गया चयन एवं पदोन्नति निरस्त की जाती है एवं वर्ष 2008–09 में अभियोजन अधिकारी के पद पर चयन किया जाकर पदोन्नत किया जाता है। वर्ष 2008–09 की चयन सूची में इनका नाम श्री जगन सिंह पीपल के उपर रहेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

4/7/16
(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधी)

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
5. निदेशक अभियोजक, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव गृह(विधी)